



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 21, सोमवार, शाके 1937-जनवरी 11, 2016
Pausa 21, Monday, Saka 1937-January 11, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2016

संख्या प. 2 (40) विधि/2/2014:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 1)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को प्राप्त हुई]

उद्यमों के त्वरित और सुव्यवस्थित स्थापन, वृद्धि और विकास में अभिवृद्धि और सहायता करने के लिए राज्य में विशेष आर्थिक जोनों के स्थापन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रशासन के लिए उपबंध करने और ऐसे विशेष आर्थिक जोनों में विनिधान आकृष्ट करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "पहुंच अवसंरचना" से विशेष आर्थिक जोन तक जोड़ने वाली सड़क, विद्युत प्रदाय लाईन और जल प्रदाय पाईप लाइन के रूप में अवसंरचना अभिप्रेत है;
- (ख) "अनुमोदन समिति" से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम की धारा 13 के अधीन गठित अनुमोदन समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "अनुमोदन बोर्ड" से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन गठित अनुमोदन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम" से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) अभिप्रेत है;
- (च) "केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 अभिप्रेत हैं;
- (छ) "सह विकासकर्ता" से ऐसा व्यक्ति या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है, जिसे या जिसको केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के उपबंधों के अधीन सह विकासकर्ता के रूप में अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया है;
- (ज) "विकासकर्ता" से ऐसा व्यक्ति या राज्य सरकार अभिप्रेत है, जिसे या जिसको केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र अनुदत्त किया गया है और इसमें सह विकासकर्ता सम्मिलित है;
- (झ) "विकास आयुक्त" से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक या अधिक विशेष आर्थिक जोनों के लिए नियुक्त विकास आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र" से संपूर्ण भारत अभिप्रेत है किन्तु इसमें विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं;

- (ट) "अवसंरचना सुविधा" से किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक, वाणिज्यिक या सामाजिक अवसंरचना या अन्य सुविधाएं या ऐसी अवसंरचना सुविधाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन विहित की जायें या ऐसी अन्य सुविधाएं जो विहित की जायें, अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "प्रसंस्करण क्षेत्र" से केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा जोन के भीतर का कोई अनुमोदित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, चाहे वह भारत में निवासी हो या भारत से बाहर, कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी सोसाइटी, कम्पनी, चाहे वह भारत में निगमित हो या भारत से बाहर, फर्म, साम्पत्तिक समुत्थान या व्यक्तियों का कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी सोसाइटी, निगम, प्राधिकारी या कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा भी है;
- (ण) "राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है;
- (त) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (थ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (द) "विशेष आर्थिक जोन विकास समिति" से धारा 5 के अधीन गठित विशेष आर्थिक जोन विकास समिति अभिप्रेत है;
- (ध) "विशेष आर्थिक जोन" या "वि.आ.जो." या "जोन" से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के उपबंधों के अधीन

अधिसूचित प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन (मुक्त व्यापार और भाण्डागार जोन को सम्मिलित करते हुए) अभिप्रेत है और इसमें कोई विद्यमान विशेष आर्थिक जोन भी सम्मिलित है;

(न) "राज्य अनुमोदन समिति" से धारा 4 के अधीन गठित राज्य अनुमोदन समिति अभिप्रेत है;

(प) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(फ) "अंतरिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन, चाहे किसी भी रीति से जोन में कोई भी भूमि या भवन अंतरित किया जाता है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित है;

(ब) "इकाई" से किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी उद्यमकर्ता द्वारा स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यमान इकाई, अपतट बैंककारी इकाई और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में की कोई इकाई, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् स्थापित की गयी हो, अभिप्रेत है; और

(भ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम या केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों में परिभाषित समस्त अन्य शब्दों या अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम या नियमों में दिये गये हैं।

3. विशेष आर्थिक जोन की स्थापना.- (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन स्थापित करना चाहता है, क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसे दस्तावेजों और फीस सहित, जैसाकि विहित किया जाये, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव की संवीक्षा करने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को निर्दिष्ट करेगी।

(3) राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, विहित रीति से प्रस्ताव की संवीक्षा करने के पश्चात्

प्रस्ताव को अपनी रिपोर्ट सहित, राज्य अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य अनुमोदन समिति, प्रस्ताव पर और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को या तो, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, प्रस्ताव को नामंजूर करने की सिफारिश करेगी या इसे ऐसे उपांतरणों सहित, जिनका वह सुझाव दे, या उपांतरणों के बिना, अनुमोदन बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(5) राज्य सरकार, राज्य अनुमोदन समिति की सिफारिशों के आधार पर, या तो प्रस्ताव को नामंजूर करेगी या उसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी।

4. राज्य अनुमोदन समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य अनुमोदन समिति होगा।

(2) राज्य अनुमोदन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मुख्य सचिव, राज्य सरकार	अध्यक्ष;
(ख) वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(ग) उद्योग विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(घ) नगरीय विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(ङ) राजस्व विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(च) जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(छ) सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(ज) ऊर्जा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(झ) वन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(ञ) आयुक्त, निवेश और अप्रवासी भारतीय	सदस्य;
(ट) श्रम विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;
(ठ) जल संसाधन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य;

- (ड) पर्यावरण विभाग का प्रभारी शासन सचिव सदस्य;
 (ढ) मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सदस्य;
 (ण) पांच से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति या अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा, राज्य अनुमोदन समिति के समक्ष मामले को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर नामनिर्देशित किये जायें सदस्य; और
 (त) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है, जब वह विभाग का प्रभारी हो।

(3) समिति, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो विहित किये जायें।

5. विशेष आर्थिक जोन विकास समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, राज्य में विशेष आर्थिक जोनों के योजनाबद्ध विकास, क्रियान्वयन और संचालन के लिए, विशेष आर्थिक जोन विकास समिति गठित करेगी।

(2) विशेष आर्थिक जोन समिति की संरचना और इसके कार्य का संचालन किये जाने के समय, विशेष आर्थिक जोन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(3) विशेष आर्थिक जोन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो विहित किये जायें।

6. विकास आयुक्त की शक्तियां और कृत्य.- (1) विकास आयुक्त, जोन के विकास में लगी हुई एजेंसियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण और समन्वय करेगा और केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी अन्य

शक्तियों का प्रयोग और कृत्य करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसमें निहित किये जायें।

(2) किसी भी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष आर्थिक जोन की मास्टर योजना और विशेष आर्थिक जोन में किन्हीं भवनों के नक्शे या निर्माणों के नक्शे या ऐसे नक्शों में कोई भी उपांतरण या परिवर्तन विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित और मंजूर किये जायेंगे।

7. भूमि की अधिकतम सीमा से छूट.- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) के उपबंध, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियम के नियम 6 के अधीन किसी विकासकर्ता को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अर्जित किसी भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे।

8. भूमि का इंतजाम.- (1) राज्य सरकार, स्वयं के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भूमि, किसी विकासकर्ता को अंतरित कर सकेगी या, यदि ऐसा आवश्यक हो तो, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार, भूमि अर्जित कर सकेगी।

(2) विकासकर्ता स्वयं, किसी व्यक्ति से क्रय, पट्टे या आवंटन द्वारा भूमि अर्जित कर सकेगा।

9. विशेष आर्थिक जोन के प्रयोजन के लिए भूमि का संपरिवर्तन.- केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों के नियम 6 के अधीन औपचारिक अनुमोदन की मंजूरी की तारीख को और से, विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के भीतर की भूमि विशेष आर्थिक जोन प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित की गयी समझी जायेगी।

10. अवसंरचना आधार.- (1) राज्य सरकार, या तो स्वयं या राज्य सरकार द्वारा मंजूर रियायत के अधीन विशेष आर्थिक जोन तक पहुंच अवसंरचना की व्यवस्था कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राज्य में विशेष आर्थिक जोन तक ऐसी अन्य अवसंरचना उपलब्ध करा सकेगी जो वह, किसी विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उचित समझे।

11. विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचना सुविधाएं.- (1) विकासकर्ता, अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से जोन में, निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं में से सभी या किसी भी अवसंरचना सुविधा की योजना बना सकेगा, उसका विकास, सन्निर्माण, स्थापन, संचालन, प्रबन्ध और रख-रखाव कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) ऊर्जा उत्पादन और विद्युत वितरण तंत्र;
- (ख) जल उपचार, संचरण और वितरण;
- (ग) अपशिष्ट जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध;
- (घ) मल उपचार संयंत्र;
- (ङ) सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र;
- (च) मल नालियां;
- (छ) सड़कें और उप-मार्ग;
- (ज) जल निकास प्रणालियां;
- (झ) गैस वितरण प्रणाली;
- (ञ) संसूचना और डाटा तंत्र संचरण;
- (ट) अग्नि शमन सहित नागरिक सेवाएं;
- (ठ) जल संग्रहण संरचनाएं और जल संरक्षण प्रौद्योगिकी;
- (ड) वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग जैसेकि सौर तापन और भू-तापीय शीतलन;
- (ढ) योजना के अनुसार आपदा प्रबंध सामग्री; और
- (ण) ऐसी अन्य अवसंरचना सुविधाएं और सेवाएं, जो विहित की जायें।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विकासकर्ता, उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित की गयी अवसंरचना सुविधाओं में से किसी की भी, योजना बनाने, विकास, सन्निर्माण, स्थापन, संचालन, प्रबन्ध और रख-रखाव करने के लिए बाध्य होगा, जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो और इसके लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन मंजूर किया गया हो।

12. राज्य कर, शुल्क, उपकर और अन्य उद्ग्रहण से छूट.- राज्य सरकार, राज्य अनुमोदन समिति की सिफारिश पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी विकासकर्ता, सह विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थित किसी इकाई को, ऐसे करों, शुल्कों, उपकरों और अन्य उद्ग्रहणों से उस सीमा तक, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, विशेष आर्थिक जोन के भीतर-भीतर किये गये सभी संव्यवहारों के संबंध में और स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन तक माल के प्रदाय और सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, छूट प्रदान कर सकेगी।

13. श्रम आयुक्त की शक्तियों का विकास आयुक्त को प्रत्यायोजन.- (1) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र के संबंध में, श्रम आयुक्त, राजस्थान को उन अधिनियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग विकास आयुक्त द्वारा किया जायेगा:

परन्तु इन शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग करते समय श्रम विभाग, राजस्थान के संबंधित कर्मचारीवृन्द विकास आयुक्त की सहायता करेंगे।

(2) राज्य सरकार, जब कभी आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-I को संशोधित कर सकेगी और तदुपरांत अनुसूची-I तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी:

परन्तु जब अनुसूची-I में, संसद् द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम को जोड़कर संशोधन किया जाना हो तो ऐसा संशोधन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

14. विभिन्न विधियों के अधीन समेकित विवरणी.- (1) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन अधिनियमों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित विवरणियां विकास आयुक्त को ऐसे समेकित प्ररूप में वार्षिक रूप से दी जायेंगी, जो विहित किया जाये।

(2) राज्य सरकार, जब कभी आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-II को संशोधित कर सकेगी और तदुपरांत अनुसूची-II तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी:

परन्तु जब अनुसूची-II में, संसद् द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम को जोड़कर संशोधन किया जाना हो तो ऐसा संशोधन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

15. जोन की औद्योगिक नगरी के रूप में घोषणा.- (1) राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के उपबंधों के अनुसार, जोन को औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) विशेष आर्थिक जोन, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने की तारीख से, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित किसी नगरपालिका या, यथास्थिति, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित किसी पंचायती राज संस्था की अधिकारिता के अधीन नहीं रहेगा।

16. अनुमोदन बोर्ड और अनुमोदन समिति में प्रतिनिधित्व.- (1) उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार का प्रभारी शासन सचिव अनुमोदन बोर्ड में राज्य का पदेन नाम-निर्देशिती होगा।

(2) विशेष आर्थिक जोन समिति का सदस्य-सचिव अनुमोदन समिति में राज्य का पदेन नामनिर्देशिती होगा।

17. अधिनियमों का अन्य विधियों पर अभिभावी होना.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात या इस अधिनियम से भिन्न किसी भी अन्य राजस्थान विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

18. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में राज्य अनुमोदन समिति या विशेष आर्थिक जोन विकास समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेशाधीन सरकार के या राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

19. सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना.- राज्य अनुमोदन समिति, विशेष आर्थिक जोन विकास समिति का प्रत्येक सदस्य और विकास आयुक्त, जब इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, तब वे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

20. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

21. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

22. निरसन.- राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध ऐसे निरसन पर लागू होंगे।

23. व्यावृत्ति.- इस अधिनियम की किसी भी बात का अर्थ, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम और केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों के उपबंधों को अल्पीकृत करने में नहीं लगाया जायेगा और इस अधिनियम और केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम या केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों के उपबंधों में कोई असंगतता होने की दशा में असंगतता के विस्तार तक, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम या, यथास्थिति, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों के उपबंध अभिभावी होंगे।

24. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 का संशोधन.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) में, इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, धारा 2 के खण्ड (ढ) के विद्यमान उप-खण्ड (v) के पश्चात् और उप-खण्ड (vi) के पूर्व निम्नलिखित नया उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(vक) विशेष आर्थिक जोन में कोई उद्योग; और"।

अनुसूची-I

(धारा 13 देखिये)

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14)
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 11)
3. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21)
4. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39)
5. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4)

6. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8)
7. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30)
8. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61)
9. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32)
10. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27)

अनुसूची-II

(धारा 14 देखिये)

1. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32)
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37)
3. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4)
4. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27)
5. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16)
6. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30)

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, January 11, 2016

No. F. 2 (40) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vishesh Aarthik Zone Adhiniyam, 2015 (2016 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN SPECIAL ECONOMIC ZONE ACT, 2015
(Act No. 1 of 2016)**

[Received the assent of the President on the 31st day of December, 2015]

An

Act

to provide for the establishment, maintenance, management and administration of Special Economic Zones in the State to promote and assist the rapid and orderly establishment, growth and development of enterprises and to attract investment in such Special Economic Zones; and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Economic Zones Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on and from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "access infrastructure" means the infrastructure in the form of connecting road, power supply line and water supply pipe line upto the SEZ;

(b) "Approval Committee" means the Approval Committee constituted under section 13 of the Central SEZ Act;

(c) "Board of Approval" means the Board of Approval constituted under sub-section (1) of section 8 of the Central SEZ Act;

- (d) "Central Government" means the Government of India;
- (e) "Central SEZ Act" means the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005);
- (f) "Central SEZ Rules" means the Special Economic Zones Rules, 2006 made by the Central Government under the provisions of the Central SEZ Act;
- (g) "Co-Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval as Co-Developer under the provisions of the Central SEZ Act;
- (h) "Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval under the provisions of the Central SEZ Act and includes a Co-Developer;
- (i) "Development Commissioner" means the Development Commissioner appointed by the Central Government for one or more SEZs under the provisions of the Central SEZ Act;
- (j) "Domestic Tariff Area", for the purposes of this Act, means the whole of India but does not include the areas of the Special Economic Zone;
- (k) "infrastructure facilities" means industrial, commercial or social infrastructure or other facilities necessary for the development of a SEZ or the infrastructure facilities which may be prescribed by the Central Government under the Central SEZ Act or such other facilities as may be prescribed;
- (l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (m) "processing area" means the area within the Zone approved by the Central Government or any authority specified by it under the provisions of the Central SEZ Act;
- (n) "person" includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, a co-operative society, a company, whether incorporated in India or outside India, a firm, proprietary concern, or an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, local authority and any agency, office or branch owned or controlled by such individual, Hindu undivided family, co-operative society, association, body, authority or company;

- (o) "Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited" means the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956);
- (p) "rules" means the rules made under this Act;
- (q) "schedule" means the Schedule of this Act;
- (r) "SEZ Development Committee" means the Special Economic Zone Development Committee constituted under section 5;
- (s) "Special Economic Zone" or "SEZ" or "Zone" means each Special Economic Zone (including Free Trade and Warehousing Zone) notified under the provisions of the Central SEZ Act and includes an existing Special Economic Zone;
- (t) "State Approval Committee" means the State Approval Committee constituted under section 4;
- (u) "State Government" means the Government of the State of Rajasthan;
- (v) "transferee" means a person to whom any land or building in the Zone is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successors and assignees;
- (w) "Unit" means a Unit set up by an entrepreneur in a Special Economic Zone and includes an existing Unit, an Offshore Banking Unit and a Unit in an International Financial Services Centre, whether established before or established after the commencement of this Act; and
- (x) all other words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Central SEZ Act and Central SEZ Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and rules.

3. Establishment of Special Economic Zone.- (1) Any person, who intends to set up a Special Economic Zone, may, after identifying the area, make a proposal to the Department of Industries, Government of Rajasthan in such form and containing such particulars and accompanied by such documents and fees as may be prescribed.

(2) The State Government shall refer the proposal received under sub-section (1) to the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited for the scrutiny of the proposal.

(3) The Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited shall, after scrutinizing the proposal in the prescribed manner, submit the proposal along with its report to the State Approval Committee.

(4) The State Approval Committee shall, after considering the proposal and the report of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, recommend to the State Government either to reject the proposal for the reasons to be recorded in writing or to recommend the same with such modifications as it may suggest or without modifications, to the Board of Approval.

(5) The State Government shall, on the basis of the recommendations of the State Approval Committee, either reject the proposal or forward the same to the Board of Approval.

4. Constitution of State Approval Committee.- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute for the purposes of this Act, a Committee, to be called the State Approval Committee.

(2) The State Approval Committee shall consist of the following members, namely:-

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (a) | Chief Secretary to the State Government | Chairperson; |
| (b) | Secretary to the Government incharge of Finance Department | Member; |
| (c) | Secretary to the Government incharge of Industries Department | Member; |
| (d) | Secretary to the Government incharge of Urban Development Department | Member; |
| (e) | Secretary to the Government incharge of Revenue Department | Member; |
| (f) | Secretary to the Government incharge of Public Health and Engineering Department | Member; |
| (g) | Secretary to the Government incharge of Public Works Department | Member; |
| (h) | Secretary to the Government incharge of Power Department | Member; |
| (i) | Secretary to the Government incharge of Forest Department | Member; |

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (j) | Commissioner, Investment and Non Resident Indians | Member; |
| (k) | Secretary to the Government incharge of Labour Department | Member; |
| (l) | Secretary to the Government incharge of Water Resources Department | Member; |
| (m) | Secretary to the Government incharge of Environment Department | Member; |
| (n) | Chief Town Planner, Rajasthan | Member; |
| (o) | such other persons or officers not exceeding five as may be nominated from time to time by the Chairperson having regard to the matter before the State Approval Committee | Members; and |
| (p) | Managing Director, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited | Member-Secretary. |

Explanation.- For the purpose of this sub-section, expression "Secretary to the Government incharge" means the Secretary to the Government incharge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he is in charge of a department.

(3) In addition to the powers and functions specified in this Act, the committee shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be prescribed.

5. Constitution of SEZ Development Committee.- (1) The State Government shall, as soon as may be, constitute a Special Economic Zone Development Committee for planned development, implementation and operation of SEZs in the State.

(2) The composition of the SEZ Development Committee and the procedure to be followed by the SEZ Development Committee while transacting its business shall be such as may be prescribed.

(3) The SEZ Development Committee shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.

6. Powers and functions of the Development Commissioner.- (1) The Development Commissioner shall ~~supervise~~, oversee and coordinate the activities of agencies

engaged in the development of the zone and may, in addition to his powers under Central SEZ Act, exercise such other powers and functions as may from time to time be vested in him by the State Government under this Act or any other law for the time being in force.

(2) Notwithstanding anything contained in any Rajasthan Law, the master plan of the Special Economic Zone and maps of any buildings or erections in the Special Economic Zone or any modifications and alterations in such maps shall be approved and sanctioned by the Development Commissioner.

7. Exemption from Land Ceiling.-The provisions of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) shall not apply in respect of any land acquired by the Developer for the purpose of setting up a Special Economic Zone after in-principle approval has been granted to him under rule 6 of the Central SEZ rules.

8. Arrangement of land.- (1) The State Government may transfer land owned or controlled by it to the Developer or acquire land, if so required, in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013) and the rules made thereunder.

(2) The Developer may himself acquire land from any person by purchase, lease or allotment.

9. Conversion of land for SEZ purpose.- On and from the date of grant of formal approval under rule 6 of Central SEZ Rules, the land within the area of SEZ proposed by the Developer shall be deemed to have been converted for the SEZ purpose.

10. Infrastructure support.- (1) The State Government may provide access infrastructure upto SEZ, either on its own or under a concession granted by the State Government.

(2) The State Government may provide such other infrastructure upto SEZ in the State as it may consider appropriate having regard to the specific requirements of a particular SEZ.

11. Infrastructure facilities in SEZ.- (1) The Developer may plan, develop, construct, install, operate, manage and maintain all or any of the following infrastructure facilities in the Zone, with the approval of the Board of Approval, namely:-

(a) power generation and Electricity distribution network;

(b) water treatment, transmission and distribution;

- (c) waste water treatment and solid waste management;
- (d) sewage treatment plant;
- (e) common effluent treatment plant;
- (f) sewage lines;
- (g) roads and subways;
- (h) drainage systems;
- (i) gas distribution network;
- (j) communication and data network transmission;
- (k) civic services including fire fighting;
- (l) water harvesting structures and water conserving technology;
- (m) use of alternative energy like solar heating and geothermal cooling;
- (n) disaster management outfit according to a plan; and
- (o) any other infrastructure facilities and services as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Developer shall be bound to plan, develop, construct, install, operate, manage and maintain any of the infrastructure facilities specified in, or prescribed under, that sub-section, whenever so required by the State Government and approval is granted for the same by the Board of Approval.

12. Exemption from State taxes, duties, cess and other levies.- The State Government may, upon recommendation of the State Approval Committee, by a general or special order, exempt any Developer, Co-Developer or a Unit located in a Special Economic Zone from such taxes, duties, cess and other levies to such extent as may be specified in such order in respect of all transactions within the Special Economic Zone and in respect of supply of goods and provision of services from the domestic tariff area to the Special Economic Zone.

13. Delegation of powers of Labour Commissioner to Development Commissioner.- (1) Notwithstanding anything contained in the Act, specified in the Schedule-I, the power, duties and functions conferred on the Commissioner of Labour, Rajasthan under those Acts, in respect of the area of Special Economic Zone, shall be exercised by the Development Commissioner:

Provided that Development Commissioner shall be assisted by the concerned staff of the Labour Department, Rajasthan while exercising these powers, duties and functions.

(2) The State Government may, as and when considered necessary, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule-I and thereupon the Schedule-I shall be deemed to have been amended accordingly:

Provided that when the Schedule-I is to be amended by adding an Act made by Parliament, such amendment shall be made with the prior approval of the Government of India.

14. Consolidated return under various laws.- (1) Notwithstanding anything contained in the Acts specified in the Schedule-II, the returns required to be prescribed by the State Government under those Acts and rules made thereunder, shall be furnished to the Development Commissioner annually in such consolidated form as may be prescribed.

(2) The State Government may, as and when considered necessary, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule-II and thereupon the Schedule-II shall be deemed to have been amended accordingly:

Provided that when the Schedule-II is to be amended by adding an Act made by Parliament, such amendment shall be made with the prior approval of the Government of India.

15. Declaration of the Zone to be industrial township.- (1) The Governor may specify the zone to be an industrial township in accordance with the provisions of Article 243 Q of the Constitution of India.

(2) The Special Economic Zone shall cease to be under the jurisdiction of, a municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or, as the case may be, a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) with effect from the date of the issuance of a notification under sub-section (1).

16. Representation in the Board of Approval and the Approval Committee.- (1) The Secretary in charge of the Industries Department, Government of Rajasthan shall be the *ex-officio* nominee of the State in the Board of Approval.

(2) The Member-Secretary of the SEZ Development Committee shall be the *ex-officio* nominee of the State in the Approval Committee.

17. Act to override other laws.- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan Law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any Rajasthan Law other than this Act.

18. Protection of action taken in good faith.- No suit or legal proceedings shall lie against the Chairperson or other members of the State Approval Committee or SEZ Development Committee or any employee of the Government or Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited acting under the direction of such committee in respect of anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

19. Members and employees to be public servants.- Every member of the State Approval Committee, SEZ Development Committee, and the Development Commissioner shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder, be deemed to be the public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

20. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

21. Power to remove difficulty.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

22. Repeal.-The Rajasthan Special Economic Zone Development Act, 2003 (Act No. 21 of 2003) is hereby repealed and the provisions of Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply to such repeal.

23. Savings.- Nothing in this Act shall be construed to derogate the provisions of the Central SEZ Act and the Central SEZ Rules and in case of any inconsistency between the provisions of this Act and the Central SEZ Act or the Central SEZ Rules, the provisions of the Central SEZ Act or, as the case may be, the Central SEZ Rules shall prevail to the extent of inconsistency.

24. Amendment of Central Act No. 14 of 1947.- In the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of 1947), in its application to the State of Rajasthan, after the existing sub-clause (v) and before sub-clause (vi) of clause (n) of section 2, the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

"(va) Any industry in the Special Economic Zone; and".

SCHEDULE-I

(See section 13)

1. Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of 1947)
2. Minimum Wages Act, 1948 (Central Act No. 11 of 1948)
3. Payment of Bonus Act, 1965 (Central Act No. 21 of 1965)
4. Payment of Gratuity Act, 1972 (Central Act No. 39 of 1972)
5. Payment of Wages Act, 1936 (Central Act No. 4 of 1936)
6. Workmen's Compensation Act, 1923 (Central Act No. 8 of 1923)
7. Inter-State Migrant Workmen (Regulation and Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (Central Act No. 30 of 1979)
8. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Central Act No.61 of 1986)

9. Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (Central Act No. 32 of 1966)
10. Buildings and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996)

SCHEDULE-II

(See section 14)

1. Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (Central Act No. 32 of 1966)
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act No. 37 of 1970)
3. Payment of Wages Act, 1936 (Central Act No. 4 of 1936)
4. Motor Transport Workers Act, 1961 (Central Act No. 27 of 1961)
5. Trade Unions Act, 1926 (Central Act No. 16 of 1926)
6. Inter-State Migrant Workmen (Regulation and Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (Central Act No. 3 of 1979)

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.